न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 44/18

GCMS Id : 2018 / 00126

1. धनपाल आत्मज कान्हा, जाति बैरवा, निवासी कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– प्रार्थी

बनाम

1. मदनलाल आत्मज कान्हा
2. रामविलास आत्मज कान्हा
3. सन्जू बाई पुत्री कान्हा
   जाति बैरवा, निवासीगण कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : श्री केसरीलाल बैरवा, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 12.04.2024

1- प्रार्थी की ओर से मूल वाद के साथ जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान किये जाने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 212 RTA में निवेदन किया गया कि –

- ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.68 हैक्टर छीतरलाल आत्मज मंगला बैरवा, निवासी कैथून के खाते दर्ज चली आ रही थी।
- छीतरलाल अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काश्त करते थे। उन्होनें स्वैच्छा से उक्त भूमि की वसीयत वादी के पिता कान्हा आत्मज रामचन्द्र के नाम दिनांक 01.08.2000 को आलेखित की, जिसे अपनी अंगूठा निशानी व गवाहों के हस्ताक्षर से दिनांक 02.08.2000 को नोटेरी से तस्दीक करवाया गया।
- छीतरलाल की मृत्यु के बाद वादी के पिता कान्हा उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे तथा कान्हा की मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिपक्षी क्रम–1 ता 3 उक्त भूमि के खातेदार हो गये किन्तु वादी ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा, प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है।
- स्व. छीतरलाल व स्व. कान्हा ने उक्त भूमि को काश्त के काम में ही लिया है, अन्य किसी प्रयोग में नहीं लिया। इसके बावजूद भी प्रतिपक्षी क्रम–4 ने उक्त भूमि पर धारा 90–ए की कार्यवाही कर खातेदार व कजेदार छीतरलाल व कान्हा को सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 01.04.2022 को नामान्तरकरण संख्या 668 से सिवायचक दर्ज कर दिया।
- इस कारण पक्षकारान उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि पर पिछले 18 वर्ष से प्रार्थी के पिता कान्हा व उनके बाद से प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है।
- पक्षकारान ने प्रतिपक्षी क्रम–4 से दिनांक 26.09.2018 को उक्त भूमि, प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 3 के नाम दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होने कान्हा व उसके वारिसान (पक्षकारान) के नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया और बेदखल करने की धमकी दी। यदि प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की विवादित आराजी से बेदख्ल कर दिया तो इससे प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी तथा दावा पेश करना ही बेकार हो जायेगा।
- प्रार्थी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना है।
- अतः प्रार्थना है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रार्थी को ग्राम कैथून की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.68 हैक्टर से बेदखल नहीं करे और न प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करे। प्रतिपक्षी क्रम–4 उक्त भूमि को किसी को आवंटन अथवा नियम नहीं करें और मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

3- प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1, 2 की ओर से रिकार्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र के कथनों को स्वीकार तथा अन्य कथनों को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि –

- स्व. कान्हा की मृत्यु के बाद से विवादित आराजी पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम–1 ता 3 का open and hostile possession सबकी जानकारी में चला आ रहा है किन्तु सहवनदश उक्त आराजी सिवायचक दर्ज हो गई है जिसे हटवाकर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण शामलाती खाते में दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी है।
- स्व. छीतरलाल व स्व. कान्हा द्वारा विवादित आराजी को किसी अन्य प्रयोजन में काम में लिये बिना ही कृषि कार्य ही किया है परन्तु फिर भी प्रतिपक्षी क्रम–4 द्वारा खातेदार छीतरलाल व कान्हा को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त भूमि पर 90(ए) एस.आर. एक्ट की कार्यवाही कर नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 01.04.2002 से सिवायचक दर्ज कर दिया है जो प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम–1 ता 3 के विधिक अधिकारों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।
- विवादित आराजी पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम–1 ता 3 का संयुक्त रूप से कब्जा होने के कारण प्रार्थी का केस न तो प्राईनाफेसाई सत्य है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष आपत्तियों में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी क्रम–1 व 2 विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तथा 1/2 हिस्सा अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रकरण में जवाब के साथ ही धारा 88,89,188, 53 आर.टी.एक्ट के तहत इसका काउन्टर क्लेम भी पेश है, जिसे सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
- प्रार्थी ने प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 को मानसिक व शारिरिक सन्ताप पहुंचाने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाकर प्रतिपक्षी क्रम–1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

4- प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र 212 RTA सुनी गई –

- प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.68 हैक्टर छीतरलाल आत्मज नंगला के खाते दर्ज चली आ रही थी। उन्होनें स्वैच्छा से उक्त भूमि की नोटेरी से प्रमाणित वसीयत वादी के पिता कान्हा आत्मज रामचन्द्र के नाम आलेखित कर दी थी, जिस पर उनके वारिसान को भी कोई आपत्ति नहीं थी। यह वसीयत आज भी कायम है। इसके समर्थन बाबत छीतरलाल के वारिसान के शपथ पत्र भी पेश किये गये है। छीतरलाल की मृत्यु के बाद वादी के पिता कान्हा उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे तथा कान्हा की मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिपक्षी क्रम–1 ता 3 उक्त भूमि के खातेदार हो गये किन्तु वादी ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा, प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। स्व. छीतरलाल व स्व. कान्हा ने उक्त भूमि को काश्त के काम में ही लिया है, अन्य किसी अकृषि काम में नहीं लिया फिर भी प्रतिपक्षी क्रम–4 ने उक्त भूमि पर धारा 90–ए की कार्यवाही करके खातेदार व कब्जेदार को सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 01.04.2022 को नामान्तरकरण संख्या 668 से सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि पर पिछले 18 वर्ष से प्रार्थी के पिता व उनके बाद से प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। पक्षकारान ने प्रतिपक्षी क्रम–4 से दिनांक 26.09.2018 को उक्त भूमि, प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 3 के नाम दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होंने कान्हा व उसके वारिसान (पक्षकारान) के नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया और बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर दिया तो अपार क्षति होगी। यह प्रार्थी प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा प्रार्थी को अपरिमित क्षति होने की भी पूर्ण संभावना है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध ताकैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थी को ग्राम कैथून की उक्त आराजी खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.68 हैक्टर से बेदखल नहीं करे और न प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे। प्रतिपक्षी क्रम–4 उक्त भूमि को किसी को आवंटन/नियमन नहीं करें और मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
- अप्रार्थी क्रम–1 व 2 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को

दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी पूर्व में छीतरलाल के खाते दर्ज थी तथा छीतरलाल ने पक्षकारान के पिता स्व. कान्हा के नाम वसीयत की थी किन्तु विवादित आराजी पर केवल प्रार्थी का ही कब्जा नहीं है। स्व. कान्हा की मृत्यु के बाद से विवादित आराजी पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम–1 ता 3 का open and hostile possession चला आ रहा है। स्व. छीतरलाल व स्व. कान्हा ने विवादित आराजी को कभी किसी अन्य प्रयोजन में काम में लिये बिना, केवल कृषि कार्य ही किया है परन्तु फिर भी प्रतिपक्षी क्रम–4 द्वारा खातेदार को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त भूमि पर 90(ए) एल.आर. एक्ट की कायम वाही कर नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 01.04.2002 से सिवायचक दर्ज कर दिया है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण विवादित आराजी पर अपना कब्जा बताया है किन्तु इसका कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। विवादित आराजी में प्रार्थी का केवल 1/4 हिस्सा ही निहित है। इसी कारण यह केवल प्रार्थी का प्राईमाफेसाई केस नहीं है और न ही सुविधा का सन्तुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में है। केवल प्रार्थी को ही अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी क्रम–1 व 2 की ओर से काउन्टर क्लेम भी पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाकर प्रतिपक्षी क्रम–1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी क्रम–1 व 2 के अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2010 (1) RLW [SC], Page 578-585 पेश किया गया।

5- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया और दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि ग्राम कैथून की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.68 हैक्टर छीतरलाल पुत्र मंगला के खाते दर्ज थी। मुताबिक वसीयतनामा दिनांक 02.08.2000, छीतरलाल ने उक्त आराजी की वसीयत पक्षकारान के पिता कान्हा पुत्र रामचन्द्र के नाम की गई। वर्तमान में विवादित आराजी राजकीय खाता सिवायचक दर्ज है, जिसे पक्षकारान ने 90–ए की कार्यवाही द्वारा दर्ज होना बताया है।

विवादित आराजी को नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 01.04.2002 से सिवायचक दर्ज किया गया है, जिसके लगभग 16 वर्ष बाद दावा/प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से इसे प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण कहा जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा। इसके लिये प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थी को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिये ।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने विवादित आराजी पर स्वयं को काबिज काश्त होने का कथन किया है किन्तु अप्रार्थी अभिभाषक ने विवादित आराजी पर सभी पक्षकारान का संयुक्त कब्जा बताया हैं। प्रार्थी ने अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है। वर्तमान में विवादित आराजी राजकीय खाता सिवायचक दर्ज है जिससे प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नहीं हो रही है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.68 हैक्टर पर अपना कब्जा बताया है किन्तु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रकरण की विवादित आराजी पर 90–ए की कार्यवाही किये जाने से वर्तमान में उक्त आराजी राजकीय खाता सिवायचक दर्ज है। कब्जे का कोई प्रमाण नहीं होने तथा विवादित आराजी सिवायचक दर्ज होने से प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना संभावित नहीं है।

6- आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तो और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन तथा प्रकरण पर सुनी गई बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

* ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.68 हैक्टर छीतरलाल पुत्र मंगला के खाते दर्ज थी। छीतरलाल द्वारा दिनांक 02.08.2000 को नोटरी से प्रमाणित करवाकर पक्षकारान के पिता कान्हा पुत्र रामचन्द्र के नाम उक्त आराजी की एक वसीयत आलेखित की गई। इसी दौरान उक्त विवादित आराजी पर 90–ए की कार्यवाही की जाकर जर्ये नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 01.04.2002 को इसे सिवायचक दर्ज कर दिया गया।
* विवादित आराजी पर दिनांक 01.04.2002 को 90–ए की कार्यवाही होने से यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं है।
* प्रार्थी ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा बताया है किन्तु न तो इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश किया और न ही कोई/कौनसी फसल आदि किये जाने का उल्लेख किया है तथा वर्तमान में विवादित आराजी राजकीय खाते सिवायचक दर्ज होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है और ना ही प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति हो रही है।
* विधिसंगत रूप से देखा जाए तो पक्षकारान (प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम–1 ता 3) द्वारा आपस में मिलकर परोक्ष रूप से दावे के माध्यम से विवादित आराजी पर की गई 90–ए की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण मानकर न्यायालय की सहायता से खातेदारी अधिकार चाहे जा रहे है। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना उसी का ही एक भाग मात्र है।
* अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अनुसार यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7- यह निर्णय आज दिनांक 12 अप्रेल, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

12/4/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा